उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्याः 180 /XL-1/2025-12/2001 (E-6828)
देहरादूनः दिनांक 28 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 583/XXXX/2010-12/2001, दिनांक 28 जून, 2010 के द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों (ऋषिकुल व गुरूकुल) हेतु आवंटित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के 04 पदों को विभागीय कार्यों को देखते हुए जनहित में निम्न **तालिकानुरूप** आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सालयों/ कार्यालयों में पदस्थापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	चिकित्सालय/कार्यालय का नाम
1	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (पंचकर्म)	01	50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल
2	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (क्षार सूत्र)	01	
3	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	01	जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर
4	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	01	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार

Signed by
Ravinath Raman
Date: 28-01-2025 12:06:50

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या – 180 /XL-1/2025-12/2001 (E-6828) तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 आयुष मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 आयुष मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून।
5. कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून।
6. परिसर निदेशक, ऋषिकल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार।
7. परिसर निदेशक, गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार।
8. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर/हरिद्वार।
10. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner